


अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम **शिवशंकर आर्य**
 3 वर्तमान धारित पद **आयुक्त**
 5. आगा-पी वेतनवृद्धि का तारीख **पंजी**

2. उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो
 4. वर्तमान वेतन

| उस जिले, वर्ष सम्मान, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो | संपत्ति का नाम तथा व्यौरे | | वर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया छरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की गई हो उसका नाम तथा व्यौरे | संपत्ति से वार्षिक आय | अभियुक्ति |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| | गृह तथा अन्य भवन | भूमि | | | | | |
| 1 3000 वार्ड 45 | 2 | 3 HI 5 13/9 L.P. आर्य आर्य | 4 30000 | 5 शिवशंकर आर्य (आगा पी) | 6 30000 शिवशंकर | 7 NIL. | 8 |

- 1- जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- 2- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
- 3- इसमें अलकाशीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : नए शासकीय सेवक (आवण) नियम, 1966 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवृत्ति नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परभाव पर धारणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करे और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अवल सम्पत्ति के बारे में।

हस्ताक्षर 
 पदनाम **आयुक्त**
 नाम **शिवशंकर आर्य**

मो.न.